(५०)

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल बोर्ड ग्वालियर कैंप, उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रं. /2018 निगरानी निगरानी-3463/2018/उज्जैन/भू.रा.

प्रार्थी अभिभाषक श्री जे.एस. तोमर द्वारा प्रस्तुत दिनांक 11-5-18

अधीक्षक आयुक्त कार्यालय उज्जैन 11.5.18

तेजाराम पिता गोविंद, जाति-गारी, निवासी-गणेश मंदिर के पीछे, भेरूगढ़, उज्जैन म.प्र.

......प्रार्थी/ निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. सोरमबाई पिता भेरूलाल, जाति-गारी,
2. चंदाबाई पति कैलाश, जाति-गारी,

निवासीगण-मौजमखेड़ी तहसील घट्टिया जिला उज्जैन ....प्रतिप्रार्थीगण/उत्तरदाता

480 11/5/18

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रार्थी की और से निगरानी आवेदन पत्र आदेश अधीनस्थ माननीय न्यायालय तहसीलदार तहसील उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्रं. 01/अ-13/2017-18 प्रकरण उन्वान आवेदक सौरमबाई आदि विरूद्ध तेजाराम आदि अनावेदक में दिये अंतरित आदेश दिनांक 01/05/2018 के विरूद्ध निगरानी अंदर अवधि में प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3463/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-6-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार, तहसील उज्जैन के आदेश दिनांक 1-5-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण में अनावेदकगण के आने-जाने का रास्ता आवेदक द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों के अधीन अन्तरिम आदेश पारित रास्ता खोले जाने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में 1988 आर.एन. 292 जानीबाई (श्रीमती) विरूद्ध ठाकर सिंह में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :- "धारा 131–अंतरिम आदेश–स्थल निरीक्षण के पश्चात अंतर्निहित शक्तियों के अधीन पारित किया जा सकता है ।" उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें इस स्तर पर हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	